(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2683—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—06—2014 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर सर्किल गिर्द जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 614/अ—74/2013—14.

.....

1—शकुन्तला यादव पत्नी विश्राम यादव
निवासी ग्राम रतहरा हाल मुकाम नोम चौराहा
वोदाबाग रीवा जिला रीवा म0प्र0
2—सुमन कुमार पटेल तनय हृदय लाल पटेल
निवासी इन्द्रानगर रीवा म0प्र0
3—रविकुमार यादव तनय स्व0 विश्राम यादव
निवासी ग्राम रतहरा हाल मुकाम नोम चौराहा
वोदाबाग रीवा जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1— ललिता पटेल पत्नी राजू पटेल
निवासी मानस नगर बरा वार्ड न0 13
जिला रीवा म0प्र0
2— म0 प्र0 शासन

—— अनावेदकगण

.....

श्री लाल जी पटेल अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अनिल पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 17/7/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर सर्किल गिर्द जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—06—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर सर्किल गिर्द जिला रीवा के न्यायालय में दिनांक 3.4.14 को आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भूमि आराजी कमांक 122/3, 122/4, 402/3, 402/4 स्थित रतहरा का नक्शा तर्मीम किया जाय। तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को आदेशित कर प्रतिवेदन की मांग की गई। राजस्व निरीक्षक गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा दिनांक 5.5.14 को जांच प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर तहसीलदार हुजूर जिला रीवा द्वारा दिनांक 16.6.14 को नक्शा तर्मीम का आदेश पारित किया तथा आवेदिका की आपत्ति निरस्त की। इससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहसी प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि विवादित भूमियां खसरा न0 122/1, 402/1, 460, 461, 462, एवं 295/2 मौजा रतहरा पटवारी हल्का समान तहसील हुजूर जिला रीवा में स्थित है, जिनके पूर्व भूमिस्वामी राम कुमार सम्पत्ति एवं विश्राम थे । रामकुमार यादव के कोई औलाद नहीं थी, क्यों कि उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने अपनी समस्त चल–अचल संपत्ति का अपने भतीजे सुरेन्द्र यादव उर्फ भुखिया के पक्ष में वसीयत नामा कर दिया, राम कुमार की मृत्यु के बाद समस्त चल अचल संपत्ति सुरेन्द्र यादव के नाम वसीयत के आधार पर हुई। सुरेन्द्र उपरोक्त भूमियों पर अपने 1/3 हिस्से पर काविज दखल हो गया और वर्तमान में भी काविज दखल है। तर्को में यह भी बताया कि अनावेदक कमांक–1 का पति राजकुमार पटेल उर्फ राजू रीवा जिला में भूमियों को अवैध ढंग से अपनी पत्नी ललिता पटेल के नाम भूमियां लिखवाकर कई प्लाट बनाकर विकय करता है इसी प्रकार उपरोक्त भूमियों को हड़पने के उददेश्य से महिला दुलरिया को राम कुमार की पत्नी बनाकर तथा दुलरिया की पुत्री को राम कुमार की पुत्री बनाकर उसके नाम राजस्व विभाग को अपने पक्ष में लेकर राम कुमार के हिस्से की समस्त भूमियों को दुलरिया एवं संतोषिया के नाम वारिसाना नामांतरण करवा लिया। दुलरिया एवं संतोषिया का अपरिचित व्यक्ति शिवकुमार मिश्रा को उनका आम मुख्तार बनवाकर शिवकुमार मिश्रा से ललिता के नाम विकय पत्र लिखिवा दिया तथा ललिता के नाम नामांतरण आदेश करवा दिया। उपरोक्त भूमियों में 1/3 हिस्से पर खसरे में ललिता का नाम दर्ज करवा दिया जिसकी जानकारी होने पर सुरेन्द्र द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हुजूर रीवा के न्यायालय में अपील की तथा सिविल न्यायालय में एक सिविल दावा पहले दुलरिया एवं अन्य के विरूद्व स्वत्व घोषणा

एवं चिर स्थाई निषेधज्ञा का दायर किया। सुरेन्द्र यादव को यह मालूम होने पर कि ललिता पटेल के नाम विकय के आधार पर नांमातरण हो गया। सिविल न्यायालय में ललिता पटेल एवं आम मुख्तार शिव कुमार मिश्र को भी पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पत्र दिया जिसे सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया तब सुरेन्द्र व उसके पिता संपत्ति ने माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन कमांक 1137/08 दर्ज कर जिसमें दिनांक 21.10.09 को आदेश पारित कर ललिता पटेल एवं शिव कुमार मिश्रा को प्रति प्रार्थी कमांक 6 एवं 7 पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया गया। उक्त सिविल प्रकरण में ललिता पटेल एवं शिवकुमार मिश्रा द्वारा अधिवक्ता नियुक्त कर उसमें जवाब दावा पेश किया। अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त प्रकरण के अलावा ललिता पटेल के पति राजू पटेल द्वारा शकुंतला का एक व्यक्ति को आम मुख्तार बनाकर शकुंतला को 1/3 हिस्से की भूमि को ललिता पटेल के नाम विकय पत्र लिखवाकर उसी के आधार पर नामांतरण करवा लिया, जिसका अलग सिविल प्रकरण चल रहा है। अगर किसी भूमि का स्वत्व के संबंध में विवाद है और उसका प्रकरण सिविल न्यायालय में विवाद चल रहा है तो उस भूमि का नक्शा तर्मीम या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकती है क्यों कि उससे दावा के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व है, अतः आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाय।

4– अनावेदक कमांक–1 ललिता पटेल की ओर से लिखित बहसी प्रस्तुत कर तर्क दिया गया है कि आवेदकगण कमांक–1 द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजियों की एक मात्र भूमि स्वामी है जिस पर उसका कब्जा दखल है। उपरोक्त आराजियों के नक्शा तरमीम हेतु माननीय न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा सीमावर्ती कृषक को पक्षकार बनाया गया है, सम्यक रूप से पक्षकार गण को सूचना पत्र भी जारी किया गया था तथा पटवारी प्रतिवेदन तथा राजस्व निरीक्षक के टीप के आधार पर विधि अनुसार नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई है जिससे से अधीनस्थ विद्वान न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाय। तर्क में यह भी बताया कि आवेदक द्वारा रजिशन गैर निगरानीकर्ता के विरूद्व माननीय के न्यायालय में झूठे तथ्यों पर निगरानी प्रस्तुत की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन के पश्चात स्थिति स्वमेव स्पष्ट हो जावेगी कि मात्र अनावेदक को तंग व परेशान

करने की नियत से माननीय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिस कारण से भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि शपथ पत्र झूठा दिया गया है तो उसकी कोई जांच आदि नहीं कराई गई है इसलिये यह कहना मिथ्या है कि शपथ पत्र झूठा है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जाय।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16.6.2014 पारित करने के पूर्व सभी पक्षकारों को नहीं सुना है क्यों कि माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन कमांक 1137/08 में हुये आदेश दिनांक 21.10.09 से ललिता पटेल एवं शिवकुमार को पक्षकार बनाया गया है एवं राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर से नक्शा तर्मीम का आदेश दिनांक 16.6.14 पारित किया गया, जबकि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के नक्शा तरमीम प्रस्ताव पर पक्षकारों द्वारा आपत्ति की गई हैं नक्शा स्थाई राजस्व अभिलेख है, जिसमें स्थाई संशोधन की शक्तियां म0 प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत कलेक्टर को प्रदत्त की गई हैं, जब सभी पक्षकार नक्शा तरमीम पर सहमत नहीं है, नक्शा तरमीम/संशोधन कार्यवाही संहिता की धारा 107 की शक्तियों के अधीन कलेक्टर द्वारा की जायेंगी। परिणामतः तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम हेतु पारित आदेश दिनांक 16.6.14 दूषित श्रेणी में है, जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील हुजूर सर्किल गिर्द जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 614/अ–74/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.6.14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि के स्थल की जांच अधीक्षक भू–अभिलेख से कराते हुये सभी हितवद्व पक्षकारों को सुनकर विधिवत आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर